20.08.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी का मूल वादपत्र डिक्री हो गया। मूल वाद पत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज डिक्री होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.08.25 21:26:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
नोहर